मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. 9-2-2009-नियम-चार

भोपाल, दिनांक 21 जून 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.— दिनांक 1-1-2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेन्शन/परिवार पेन्शन का पुनरीक्षण.

संदर्भ.— वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार (भाग-2), दिनांक 3 अगस्त 2009.

विषयांकित संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसमें दिनांक 1-1-2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेन्शन अथवा परिवार पेन्शन पुनरीक्षण किये जाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं. विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें सेवानिवृत्ति के माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के कारण दो पृथक्-पृथक् वेतन देय होता है तो ऐसे कर्मचारियों के पेन्शन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान की गणना किस उपलब्धि के आधार पर की जायेगी, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है.

उपरोक्त बिन्दु पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवकों को उस माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के पूर्व प्राप्त बैंड वेतन+ग्रेड पे एवं क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत के बाद देय बैंड वेतन+ग्रेड पे के योग के अनुपातिक आधार पर पूर्ण माह हेतु देय परिलब्धियों की गणना की जाकर पेन्शन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की गणना की जावेगी. इस संबंध में उपयुक्त उदाहरण-1 एवं 2 भी मार्गदर्शन हेतु संलग्न है.

संलग्न-उदाहरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

उदाहरण— (1) "क" कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक वेतन बैण्ड रुपये 9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन रु. 10200+3200 ग्रेड पे कुल रु. 13400/- प्राप्त कर रहा था. उक्त कर्मचारी को दिनांक 23-6-2010 से पदोन्नति वेतन बैंण्ड रु. 9300+34800+3600 ग्रेड पे में हुई एवं उसके द्वारा पदोन्नति पद, पर दिनांक 23-6-2010 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया. पदोन्नति पद पर उक्त कर्मचारी को स्वीकृत वेतन बैण्ड में दिनांक 23-6-2010 को वेतन रु. 10500 +3600 ग्रेड पे कुल रु. 14100/- निर्धारित होगा.

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवा निवृत्त हो रहा है. उक्त कर्मचारी के पेन्शन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति के लिये अंतिम परिलब्धियां निम्नानुसार होगा :—

1-6-2010 से 22-6-2010 तक	$\frac{13400 \times 22}{30}$	= 9826.66
23-6-2010 से 30-6-2010 (से. नि.)	$\frac{14100 \times 8}{30}$	= 3760.00

योग रु. 13586.66 पूर्णांकित रु. 13587 अंतिम परिलब्धियां रु. 13587

टीप.—क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी के मामलों में भी उपरोक्तानुसार ही अंतिम परिलब्धियों की गणना की जावेगी.

हस्ता/-

(डी. के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

उदाहरण— (2) "ख" कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक वेतन बैण्ड रुपये 9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन रु. 10200+3200 ग्रेड पे कुल रु. 13400/- प्राप्त कर रहा था. उक्त कर्मचारी को दिनांक 23-6-2010 से वेतन बैंण्ड रु. 5200+20200+2800 ग्रेड पे में पदावनत किया गया. उक्त कर्मचारी पदावनत पद के वेतन बैण्ड में दिनांक 23-6-2010 को वेतन रु. 10200 +2800 ग्रेड पे कुल रु. 13000/- निर्धारित किया गया.

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवानिवृत्त हो रहा है. उक्त कर्मचारी के पेन्शन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति के लिये अंतिम परिलब्धियां निम्नानुसार होगा :—

1-6-2010 से 22-6-2010 तक	$\frac{13400 \times 22}{30}$	= 9826.66
23-6-2010 से 30-6-2010 (से. नि.)	$\frac{13000 \times 8}{30}$	= 3466.66

योग रु. 13293.32 पूर्णांकित रु. 13293 अंतिम परिलब्धियां रु. 13293

हस्ता/-

(डी. के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.